मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०१७

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१७

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१७ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये छः हजार नौ सौ छियासठ करोड़ सात लाख बावन हजार आठ सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी. वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ६९,६६,०७,५२,८०० का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी. विनियोग.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन		(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा मतदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन				
		पूंजी	१००	०	१००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय				
		राजस्व	२४,५५,००,०००	१,००,०००	२४,५६,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
		राजस्व	१२,००,१००	०	१२,००,१००
१२.	ऊर्जा				
		राजस्व	४८,४५,८२,००,०००	६३,१३,३५,०००	४९,०८,९५,३५,०००
		पूंजी	२००	०	२००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास				
		राजस्व	८००	०	८००

(१)	(२)		(३)	
		रुपये	रुपये	रुपये
१७.	सहकारिता			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	८७,९२,००,०००	०	८७,९२,००,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	७०,००,००,०००	०	७०,००,००,०००
	पूंजी	१००	०	१००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण			
	राजस्व	१६,२५,०००	०	१६,२५,०००
२३.	जल संसाधन			
	पूंजी	१००	०	१००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल			
	पूंजी	२,७०,००,०१,२००	०	२,७०,००,०१,२००
२६.	संस्कृति			
	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
३०.	ग्रामीण विकास			
	पूंजी	६,९२,८९,८९,०००	०	६,९२,८९,८९,०००
३२.	जनसंपर्क			
	राजस्व	२०,००,००,०००	०	२०,००,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण			
	पूंजी	२,५४,८२,००,०००	०	२,५४,८२,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य			
	पूंजी	१००	०	१००
५३.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	१,१८,८७,०७,०००	०	१,१८,८७,०७,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास			
	राजस्व	२,३६,७५,०००	०	२,३६,७५,०००

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	रुपये	रुपये
७०.	तकनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
		राजस्व	७२,००,०००	०	७२,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा				
		पूंजी	७७,००,००,०००	०	७७,००,००,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
		राजस्व	४,२४,४९,०९,०००	**१२,१९,१०,०००**	४,३६,६८,१९,०००
	योग : **राजस्व**	:	५५,०८,१०,१७,०००	**७५,३३,४५,०००**	५५,८३,४३,६२,०००
	पूंजी	:	१३,८२,६३,९०,८००	०	१३,८२,६३,९०,८००
	वृहद-योग	:	६८,९०,७४,०७,८००	**७५,३३,४५,०००**	६९,६६,०७,५२,८००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० मार्च, २०१७.

जयन्त मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.